भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2093

उत्तर देने की तारीख 02 अगस्त, 2023

स्पेक्ट्रम बैंड

2093. श्री रितेश पाण्डेय:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 6 गीगाहट्र्ज स्पेक्र्टम बैंड की लाइसेंस देने की लागत और लाभों की तुलना इसके लाइसेंस मुक्त उपयोग की अनुमति देने से की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने 6 गीगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए स्पेक्ट्रम प्रबंधन का निर्धारण करने के संबंध में हितधारकों, उपभोक्ता समूहों और विशेषज्ञों के साथ पारदर्शी और खुला परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप 6 गीगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बैंड के पूर्ण अथवा आंशिक लाइसेंस-छूट प्राप्त उपयोग की अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ): प्रौद्योगिकीय में हुई प्रगति, जनता की जरूरतें और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप भारत भी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस्ड और डी-लाइसेंस्ड उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास जारी रख रहा है। तदनुसार सरकार नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए समय-समय पर निश्चित स्पेक्ट्रम के उपयोग को लाइसेंस मुक्त करती रही है।

*****